राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(8)खा.वि./आवंटन/हॉस्टल/2017 जयपुर, दिनांकः 25.01.2019

<u>आवंटन आदेश माह जनवरी, फरवरी, मार्च, 2019 हेतु</u>
(वेलफेयर इंस्टिट्यूशन्स एवं हॉस्टल स्कीम के तहत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 4–6/2018–बी.पी.–II दिनांक 18.01.2019 के क्रम में **"वेलफेयर इंस्टिट्यूशन एवं हॉस्टल स्कीम"** के तहत राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग (शारदे बालिका छात्रावास) एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों हेतु बी.पी.एल. दर (415/–रू. प्रति क्विं.) पर माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 हेतु खाद्यान्न (गेहूँ) का जिलेवार एवं विभागवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उक्त आवंटन का विभागवार उठाव किये जाने के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. जिलेवार विभिन्न विभागों के छात्रावास हेतु खाद्यान्न आवंटन छात्रावासवार छात्रों की स्वीकृत संख्या के आधार पर किया जा रहा है। प्रति छात्र 13.904 किग्रा. गेहूँ वितरण की सुविधा के दृष्टिकोण से आवंटन 50 किग्रा. के पूर्णांक में किया जा रहा है ताकि आपूर्ति समरूप हो सके।
2. छात्रावासों में प्रवेश संख्या कम होने, किसी छात्रावास विशेष के बन्द होने अथवा किसी कालावधि में संचालित नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार गेहूँ की मात्रा समर्पित कर लिफ्टिंग की जाए।
3. जिला रसद अधिकारी द्वारा जिले में विभागीय प्रतिनिधि से छात्रावासवार वास्तविक आवश्यकता का विवरण लिया जाकर ही लिफ्टिंग हेतु प्रतिमाह अलग–अलग (जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2019 हेतु) आर.ओ. जारी किया जाए ताकि आवंटित गेहूँ का आवश्यकता अनुसार उठाव हो तथा उठाई गई मात्रा छात्रों के वास्तविक उपयोग में ली जा सके।
4. योजनान्तर्गत छात्रावासों हेतु गेहूँ परिवहन का कार्य संबंधित विभागों द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा।
5. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह <u>(जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2019) हेतु आवंटन मासिक आधार पर किया जा रहा है।</u>
6. <u>आवंटित गेहूँ के उठाव की वैधता अवधि माह जनवरी एवं फरवरी, 2019 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 18.01.2019 से एक माह (30 दिवस) एवं माह मार्च, 2019 हेतु आवंटन माह के पूर्व माह की अन्तिम तिथि होगी। यह तिथि विस्तार योग्य नहीं होगी।</u>
7. छात्रावासवार खाद्यान्न का उठाव संबंधित विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जिला रसद अधिकारी से आर.ओ. जारी करवाकर तद्नुसार प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति के मार्फत उठाए जा रहे गेहूँ की राशि भारतीय खाद्य निगम में जमा करवाते हुए किया जा सकेगा। संबंधित विभाग द्वारा समय पर गेहूँ की कीमत राशि भारतीय खाद्य निगम में जमा नहीं करवाए जाने से आवंटित गेहूँ के लेप्स होने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी न की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की।
8. संबंधित विभाग द्वारा गेहूँ की कीमत राशि एफ.सी.आई. में सीधे जमा करवाने पर ही खाद्यान्न का उठाव किया जा सकेगा।

9. छात्रावासों को गेहूँ आवंटन, उठाव एवं आपूर्ति का समुचित निरीक्षण जिला रसद अधिकारी, प्रबन्धक (नागरिक आपूर्ति) एवं संबंधित विभाग के जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
10. माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2019 हेतु आवंटित मात्रा के छात्रावासों में वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर उठाव एवं समर्पण मात्रा के अनुरूप आगामी माह हेतु आवंटन किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 18.01.2019 में निर्देशित किया गया है कि संबंधित छात्रावासों की छात्रवार वांछित सम्पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 18.02.2019 तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में आगामी माहों का आवंटन जारी नहीं किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए अन्यथा आगामी माहों हेतु आवंटन देय नहीं होगा।
12. संबंधित विभाग पूर्व माहों एवं माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के लिए उप–आवंटित खाद्यान्न मात्रा के विरूद्ध समर्पण, उठाव एवं वितरण की समस्त सूचना खाद्य विभाग के फीस्ट पोर्टल पर अपलोड की जावे।

उपरोक्तानुसार आवंटित खाद्यान्न मात्रा का भारतीय खाद्य निगम से उठाव <u>माह जनवरी एवं फरवरी, 2019 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 18.01.2019 से एक माह (30 दिवस) की अवधि एवं माह मार्च, 2019 हेतु आवंटन माह के पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक किया जावे।</u> **अतः खाद्यान्न (गेहूँ) उठाव अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

<u>संलग्नः– उपरोक्तानुसार</u>

24/01/19

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(8)खा.वि./आवंटन/हॉस्टल/2017 जयपुर, दिनांकः 24.01.2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
10. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
11. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
14. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **"वेलफेयर इंस्टिट्यूशन्स एवं हॉस्टल स्कीम"** के तहत माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2019 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की संबंधित विभाग से निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें।
15. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
16. रक्षा पत्रिका।

24/01/19

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

वेलफेयर इन्सिट्यूशन एवं हॉस्टल स्कीम के तहत विभागवार उप–आवंटन (माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2019 हेतु)

(प्रति छात्र 13.904 किग्रा. प्रतिमाह)

क्र.स.	जिला	विभागवार छात्रों की संख्या				छात्रों की कुल संख्या	माह जनवरी, 2019 हेतु आवंटित मात्रा (मात्रा क्वि. में)	माह फरवरी, 2019 हेतु आवंटित मात्रा (मात्रा क्वि. में)	माह मार्च, 2019 हेतु आवंटित मात्रा (मात्रा क्वि. में)
		एस.जे.ई.	कस्तूरबा	शारदे	टी.ए.डी.				
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=4+5+6+7**	**9=8*13.904 Kg./100**	**10=8*13.904 Kg./100**	**11=8*13.904 Kg./100**
1	अजमेर	975	700	700	50	2425	337	337	337
2	अलवर	1742	1000	1000	1300	5042	701	701	701
3	बांसवाडा	1940	750	700	6050	9440	1313	1313	1313
4	बांरा	1750	600	700	3195	6245	868	868	868
5	बाडमेर	1350	600	600	0	2550	355	355	355
6	भरतपुर	945	750	800	0	2495	347	347	347
7	भीलवाडा	2510	1100	1100	190	4900	681	681	681
8	बीकानेर	935	500	500	0	1935	269	269	269
9	बूंदी	1280	400	400	150	2230	310	310	310
10	चित्तौड़गढ़	915	950	1100	350	3315	461	461	461
11	चूरू	650	600	100	0	1350	188	188	188
12	दौसा	1660	400	400	1170	3630	505	505	505
13	धौलपुर	625	400	400	100	1525	212	212	212
14	डूंगरपुर	2140	500	500	4895	8035	1117	1117	1117
15	श्रीगंगानगर	1092	150	200	0	1442	200	200	200
16	हनुमानगढ	650	150	100	0	900	125	125	125
17	जयपुर	1915	700	700	1050	4365	607	607	607
18	जैसलमेर	725	250	300	50	1325	184	184	184
19	जालौर	2055	700	700	0	3455	480	480	480
20	झालावाड	1515	400	400	100	2415	336	336	336
21	झुंझुनू	530	200	0	0	730	101	101	101
22	जोधपुर	2100	900	900	50	3950	549	549	549
23	करौली	1060	400	400	640	2500	348	348	348
24	कोटा	2025	100	100	200	2425	337	337	337
25	नागौर	1390	1400	1100	0	3890	541	541	541
26	पाली	1895	950	1000	250	4095	569	569	569
27	प्रतापगढ़	710	450	500	4730	6390	888	888	888
28	राजसमंद	725	700	700	300	2425	337	337	337
29	सवाईमाधोपुर	1435	600	500	600	3135	436	436	436
30	सीकर	755	200	0	0	955	133	133	133
31	सिरोही	755	500	500	1940	3695	514	514	514
32	टोंक	1482	700	600	530	3312	461	461	461
33	उदयपुर	1765	850	900	6050	9565	1330	1330	1330
	योग	**43996**	**19550**	**18600**	**33940**	**116086**	**16140**	**16140**	**16140**